रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1835] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2016/आषाढ़ 30, 1938
No. 1835] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2016/ ASADHA 30 , 1938

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2016

का. आ. 2488(अ).—चूंकि, भारत गणराज्य की सरकार और सेंट किट्स एव नेविस की सरकार के बीच एक करार पर न्यूयार्क में 11 नवंबर, 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे (जिसे इसके बाद कथित करार कहा गया है);

और चूंकि, उक्त करार के प्रवृत्त होने की तारीख 2 फरवरी, 2016 है, जो कि कथित करार के पैराग्राफ 13 के उपबंधों के अनुसार कथित करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा क्या अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने की अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

और चूंकि, कथित करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 2 में प्रावधान है कि कथित करार के उपबंध इसके प्रवृत्त होने की तारीख से प्रभावी होंगे;

इसलिए, अब आयकर, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि भारत के गणराज्य की सरकार और सरकार और सेंट किट्स एवं नेविस की सरकार के बीच करों के संबंध में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए, जैसाकि कथित करार में निर्दिष्ट है जो इसके साथ अनुबंध के रूप में संलग्न है, कथित करार के सभी उपबंध भारत संघ में दिनांक 2 फरवरी, 2016 से लागू होंगे ।

[अधिसूचना सं. 62/2016 फा. सं. 503/09/2009–एफ.टी.डी.–II]

प्रज्ञा स. सक्सेना, संयुक्त सचिव

कर मामलों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान
हेतु
भारत गणराज्य की सरकार
एवं
सेंट किट्स और नेविस की सरकार
के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार एवं सेंट किट्स और नेविस की सरकार, कर मामलों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाने की इच्छा से, निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

करार का उद्देश्य एवं कार्य-क्षेत्र

संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से, जोकि इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में संविदाकारी पक्षों के घरेलू कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन से पहले से ही संगत हैं, सहायता उपलब्ध कराएंगे। ऐसी सूचना में वह जानकारी शामिल होगी जो ऐसे करों के निर्धारण, मूल्यांकन और वसूली, कर दावों की वसूली और प्रवर्तन अथवा कर मामलों की जांच-पड़ताल या अभियोजन से पूर्वानुमानित रूप से संगत है। इस करार के उपबंधों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा और अनुच्छेद 8 में बताए गए तरीके में गोपनीय माना जाएगा। अनुरोधित पक्ष के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त कराए गए अधिकार और रक्षोपाय उस सीमा तक प्रयोज्य रहेंगे जहां तक कि वे सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान में अनुचित रूप से बाधा न डाले अथवा उसे विलम्बित न करें।

अनुच्छेद - 2

क्षेत्राधिकार

सूचना का आदान-प्रदान इस करार के अनुसार किया जाएगा, इस बात का ध्यान किए बिना कि वह व्यक्ति जिससे यह सूचना संबंधित है अथवा जिसके द्वारा सूचना धारित की गई है, किसी एक संविदाकारी पक्ष का निवासी है। तथापि, अनुरोधित पक्ष ऐसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए बाध्यकारी नहीं है जो न तो उसके प्राधिकारियों के पास है और न ही उन व्यक्तियों के पास अथवा नियंत्रण में है, जो उसके राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में हैं।

अनुच्छेद – 3

सम्मिलित कर

1. कर, जो इस करार के विषय हैं, इस प्रकार हैं :

   क) भारत में, केन्द्रीय सरकार अथवा राजनीतिक उप-प्रभागों की सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार तथा विवरण के कर, इस बात का विचार किए बिना कि वे किस तरीके से लगाए गए हैं ;

   ख) सेंट किट्स और नेविस में, केन्द्रीय/संघ सरकार अथवा राजनीतिक उप-प्रभागों की सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार और विवरण के कर, इस बात का विचार किए बिना कि वे किस तरीके से लगाए गए हैं।

2. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए किन्हीं समरूप अथवा पर्याप्त रूप से समान करों पर भी लागू होगा। संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी कराधान और संबंधित सूचना एकत्र करने वाले उपायों के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे, जो इस करार के अनुसरण में उस पक्ष की बाध्यताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

अनुच्छेद – 4

परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि अन्यथा परिभाषित न किया जाए :

क) पद "भारत" से तात्पर्य भारत का भू-क्षेत्र और इसमें सीमांतर्गत समुद्र और उसके ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा कोई अन्य समुद्रवर्ती क्षेत्र है जिस पर भारतीय कानून के अनुसार तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हैं;

ख) पद "सेंट किट्स और नेविस" से तात्पर्य सेंट किट्स जुड़वा द्वीप संघ (सेंट क्रिस्टोफर) से है और अगर भू-विज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो इसका तात्पर्य सेंट किट्स और नेविस का राज्य क्षेत्र अथवा राज्यक्षेत्रों से है;

ग) पद "संविदाकारी पक्ष" से तात्पर्य भारत अथवा सेंट किट्स और नेविस से है, जैसा भी संदर्भानुसार अपेक्षित हो;

घ) पद "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य -

(i) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं;

(ii) सेंट किट्स और नेविस के मामले में, वित्त सचिव अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि है;

ड.) पद "व्यक्ति" में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का निकाय और कोई अन्य संस्था शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है;

च) पद "कम्पनी" से तात्पर्य कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय माना जाता है;

छ) पद "सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनी" से तात्पर्य ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके शेयरों का प्रमुख वर्ग किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है बशर्ते उसके सूचीबद्ध शेयर सहज ही जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों। शेयर जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय तभी किए जा सकते हैं यदि शेयरों का यह क्रय अथवा विक्रय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों;

ज) पद "शेयरों का प्रमुख वर्ग" से तात्पर्य वोट देने की शक्ति और कम्पनी के मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है;

झ) पद "कर" से तात्पर्य ऐसा कर है, जिस पर यह करार लागू होता है;

ञ) पद "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से तात्पर्य है -

(i) भारत में, भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज; और

(ii) सेंट किट्स और नेविस में, ईस्टर्न कैरिबिएन सिक्युरीटीज़ एक्सचेंज और ईस्टर्न कैरिबिएन सिक्युरीटीज़ कमीशन द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज;

(iii) कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस करार के प्रयोजनार्थ मान्यता देने के लिए सहमत हों;

ट) पद "सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य किसी निकाय में किए गए सामूहिक निवेश के साधन से है, चाहे उसका कानूनी रूप कुछ भी हो ;

ठ) पद "सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य किसी सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से है बशर्ते कि ऐसी निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी खरीद, बिक्री अथवा पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों।

ड) पद "अनुरोध करने वाले पक्ष" से तात्पर्य, उस संविदाकारी पक्ष से है जो अनुरोधित पक्ष से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है अथवा उनसे सूचना प्राप्त करता है;

ढ) पद "अनुरोधित पक्ष" से तात्पर्य उस संविदाकारी पक्ष से है जिससे सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है अथवा जिसने सूचना उपलब्ध कराई है;

ण) पद "सूचना एकत्र करने वाले उपाय" से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है जो किसी संविदाकारी पक्ष को अनुरोध की गई जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं;

त) पद "सूचना" से तात्पर्य कोई तथ्य, विवरण दस्तावेज अथवा रिकार्ड से है, चाहे वह किसी भी रूप में हो।

2. जहां तक किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अथवा सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद -11 के उपबंधों के अनुसरण में किसी आम अर्थ पर सहमत न हो, वही अर्थ होगा जो उस पक्ष के कानून के तहत उस समय हो, उस पक्ष के योज्य कर कानूनों के अंतर्गत कोई अर्थ उस पक्ष के अन्य कानूनों के तहत पद को दिए गए अर्थ की तुलना में अभिभावी रहेगा।

अनुच्छेद -5

अनुरोध पर सूचना का आदान-प्रदान

1. अनुरोध किए जाने पर अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद **1** में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए सूचना उपलब्ध कराएगा। ऐसी सूचना का आदान-प्रदान इस बात का विचार किए बिना किया जाएगा कि क्या अनुरोधित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर-प्रयोजनों के लिए है अथवा क्या वह आचरण जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, वह अनुरोधित पक्ष के कानूनों के अंतर्गत अपराध होगा यदि ऐसा आचरण अनुरोधित पक्ष में घटित होता है।

2. यदि अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आधिपत्य में कोई सूचना उस रूप में पर्याप्त नहीं है कि वह सूचना के लिए किए गए अनुरोध को पूरा करने में समर्थ हो तो वह पक्ष अनुरोधित सूचना को अनुरोध करने वाले

पक्ष को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना एकत्र करने के उपायों का प्रयोग करेगा, बावजूद इसके कि अनुरोधित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए नहीं भी हो सकती है।

3. यदि अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी गवाहों के अभिसाक्ष्य तथा मूल रिकार्डों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपने घरेलू कानूनों के तहत अनुज्ञेय सीमा तक, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसका सक्षम प्राधिकारी, इस करार के प्रयोजनार्थ अनुरोध पर निम्न को प्राप्त करने और उपलब्ध कराने का प्राधिकार रखता है :

क) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, जिसमें नामजद व्यक्ति और न्यासी भी शामिल है, द्वारा धारित कोई सूचना;

ख) कम्पनियों के कानूनी और लाभग्राही स्वामित्व, भागीदारी, सामूहिक निवेश निधियाँ अथवा स्कीमें, न्यासी, फाउंडेशन, "आन्सटालटन" और अन्य व्यक्ति संबंधी सूचना के साथ-साथ जिनमें अनुच्छेद 2 की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्वामित्व श्रृंखला में सभी ऐसे व्यक्तियों की स्वामित्व सूचना; सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के मामले में, शेयरों, यूनिटों और अन्य हितों के बारे में सूचना, न्यासों के मामले में अवस्थापक, न्यासियों और लाभभोगियों के संबंध में सूचना, संस्था के मामले में संस्थापकों, संस्था परिषद के सदस्यों और लाभग्राहियों के बारे में सूचना और ऐसी सत्ताओं के बारे में ऐसी ही जानकारी जो न तो न्यास हैं और न ही संस्था है।

5. यह करार सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनियों अथवा सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधियां अथवा स्कीमों के संबंध में स्वामित्व संबंधी सूचना प्राप्त करने अथवा उपलब्ध कराने के लिए संविदाकारी पक्षों को बाध्य नहीं बनाती जब तक कि ऐसी सूचना विषम कठिनाईयाँ बढ़ाए बिना प्राप्त की जा सकती हो।

6. अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के साथ सूचना की पहले से अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए करार के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएंगे:

क) जांच अथवा पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान;

ख) वह अवधि, जिसके लिए सूचना का अनुरोध किया गया है;

ग) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला पक्ष उसे प्राप्त करने को प्राथमिकता देगा;

घ) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;

ङ.) यह विश्वास करने के कारण कि अनुरोध की गई सूचना अनुरोधित पक्ष के पास है अथवा अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण में है;

च) जहां तक संभव हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने अथवा उसके नियंत्रण में होने का अनुमान है;

छ) एक विवरण यह बताते हुए कि यह अनुरोध, अनुरोधकर्त्ता पक्ष के कानूनों और प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप है और यह कि यदि अनुरोधित सूचना अनुरोधकर्त्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में थी तो

अनुरोधकर्त्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधकर्त्ता पक्ष के कानूनों के तहत अथवा प्रशासनिक पद्धति की सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचना प्राप्त करने में सक्षम होगा और यह कि यह इस करार के अनुरूप है; और

ज) यह विवरण देते हुए कि अनुरोधकर्त्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे।

7. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रातिशीघ्र अनुरोधित सूचना को अनुरोधकर्त्ता पक्ष को अग्रेषित करेगा। शीघ्र प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न कार्य करेगा:

क) अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध प्राप्ति की पुष्टि करेगा तथा अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनुरोध में कमियों के बारे में, यदि कोई हों, अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

ख) यदि अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर सूचना को प्राप्त करने एवं प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसमें सूचना को प्रस्तुत करने में पेश आई बाधाएं शामिल हैं अथवा वह सूचना प्रदान करने से इंकार करता है तो वह तत्काल अपनी असमर्थता, बाधाओं के स्वरूप अथवा अपनी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुरोधकर्त्ता पक्ष को सूचित करेगा।

अनुच्छेद 6

विदेश में कर जांच

1. अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्त्ता पक्ष को सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को इसके अन्तरदेशीय कानूनों के तहत अनुमत्य सीमा तक, व्यक्तियों अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से व्यक्तियों के साक्षात्कार हेतु और रिकार्डों की जांच करने के लिए अनुरोधित पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। अनुरोधकर्त्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, संबंधित व्यक्तियों के साथ अभिप्रेत बैठक के समय एवं स्थान के बारे में अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

2. अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अनुरोधित पक्ष में कर जांच के उपयुक्त भाग में प्रस्तुत रहने की अनुमति दे सकता है, तो जांच कर रहा अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, जांच के संबंध में समय एवं स्थान, जांच करने के लिए प्राधिकारी अथवा नामोदिष्ट अधिकारी तथा जांच कार्य आरंभ करने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा अपेक्षित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करेगा। कर जांच के संचालन के संबंध में सभी निर्णय जांच संचालित करने वाले पक्ष द्वारा किए जाएंगे।

अनुच्छेद 7

सूचना हेतु अनुरोध को अस्वीकार करने की संभावना

1. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न के संबंध में सहायता करने के लिए मना कर सकता है:

क) जहां अनुरोध इस करार के अनुरूप नहीं किया गया हो; अथवा

ख) जहां अनुरोधकर्त्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधनों का अनुप्रयोग नहीं किया हो, सिवाय उनके जहां ऐसे साधनों का आश्रय लेने से अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होगी; अथवा

ग) जहां सूचना का प्रकटन अनुरोधित पक्ष की लोक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल होगा।

2. यह करार एक संविदाकारी पक्ष पर निम्न बाध्यता को अधिरोपित नहीं करेगा;

i) ऐसी सूचना देना जो किसी व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया को प्रकट करेगी, बशर्ते कि अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 में वर्णित सूचना को सिर्फ इस कारण से ऐसे गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह उस पैराग्राफ में वर्णित मापदण्ड को पूरा करती है; अथवा

ii) ऐसी सूचना प्राप्त करना अथवा प्रदान करना जो एक ग्राहक और अधिवक्ता, प्रतिवक्ता अथवा अन्य स्वीकृत कानूनी प्रतिनिधि के बीच गोपनीय बातचीत को प्रकट करेगा, जहां ऐसी बातचीत को;

(क) कानूनी सलाह मांगने अथवा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया हो; अथवा

(ख) मौजूदा अथवा अपेक्षित कानूनी कार्यवाहियों में प्रयोग के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया हो।

iii) इसके कानूनों और प्रशासनिक कार्यों से भिन्न प्रशासनिक उपाय करना बशर्ते कि इस उप-पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है, जो कि अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत संविदाकारी पक्ष की बाध्यताओं को प्रभावित करे।

3. सूचना हेतु अनुरोध को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि कर दावा जिसके कारण अनुरोध किया गया है, विवादित है।

4. अनुरोधित पक्ष उस सूचना को प्राप्त करने अथवा प्रदान करने की अपेक्षा नहीं रखेगा जिसे अनुरोधकर्त्ता पक्ष प्रशासनिक प्रयोजन के लिए अथवा अपने कर कानूनों को लागू करने के लिए अथवा इस करार के अंतर्गत अनुरोधित पक्ष से किसी वैध अनुरोध के प्रत्युत्तर में अपने कानूनों के तहत इसी तरह की परिस्थितियों में प्राप्त करने के लिए असमर्थ होगा।

5. अनुरोधित पक्ष सूचना के लिए अनुरोध को मना कर सकता है यदि अनुरोधकर्त्ता पक्ष के कर कानून के उपबंध को संचालित करने अथवा लागू करने के लिए अनुरोध करने वाले पक्ष द्वारा सूचना का अनुरोध किया गया है अथवा उससे संबंधित कोई ऐसी अपेक्षा जो समान परिस्थितियों में अनुरोध करने वाले पक्ष के किसी राष्ट्रिक की तुलना में अनुरोधित पक्ष के किसी राष्ट्रिक के प्रति भेदभाव करती हो।

अनुच्छेद 8

गोपनीयता

इस करार के अंतर्गत एक संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्त की गई किसी सूचना को गोपनीय समझा जाएगा और इसे सिर्फ संबंधित संविदाकारी पक्ष के क्षेत्राधिकार में व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय एवं प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो इस करार में शामिल करों के संबंध में उसके निर्धारण अथवा उनकी वसूली अथवा उसके संबंध में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी, ऐसी सूचना का प्रयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे। वे ऐसी

सूचना को सार्वजनिक न्यायालय संबंधी कार्यवाहियों अथवा न्यायिक-निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं। सूचना को अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की तुरंत लिखित सहमति के बगैर किसी अन्य व्यक्ति अथवा हस्ती अथवा प्राधिकारी अथवा किसी अन्य क्षेत्राधिकार को (जिसमें विदेशी सरकार शामिल हैं) प्रकट नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 9

लागतें

1. जब तक कि पक्षों के सक्षम प्राधिकारी अन्यथा सहमत न हो, सहयोग देने में उपगत सामान्य लागतों को अनुरोधित पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा और इस अनुच्छेद के उपबंधों के अध्याधीन, सहयोग देने में उपगत असाधारण लागतों को, यदि वे 500 यूएस डालर से अधिक हो जाती हैं, अनुरोधकर्त्ता पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

2. किसी विशिष्ट मामले में, जहां असाधारण लागतों की 500 यूएस डालर से अधिक बढ़ने की संभावना हो, सक्षम प्राधिकारी पहले से यह निर्धारित करने के लिए विचार-विमर्श करेंगे कि अनुरोधकर्त्ता पक्ष अनुरोध करना जारी रखेगा और लागत को वहन करेगा।

3. सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के संबंध में समय-समय पर परामर्श करेंगे।

4. सामान्य लागतों में आंतरिक प्रशासनिक लागतें, कुछ गौण बाह्य लागतें और अतिरिक्त व्यय शामिल हैं जो अनुरोधित पक्ष द्वारा प्रस्तुत सूचना हेतु अनुरोधों की समीक्षा करने और उनका उत्तर देने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा उपगत की गई हों। सहायता उपलब्ध कराने में उपगत असाधारण, लागतों के उदाहरण में निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु निम्नलिखित तक सीमित नहीं है:-

क) अनुरोधित पक्ष की ओर से दस्तावेजों के प्रतिलिपीकरण हेतु तीसरे पक्षों द्वारा प्रभारित उचित शुल्क;

ख) व्याख्याताओं, अनुवादकों अथवा अन्य सहमत विशेषज्ञों को रखने के लिए उपयुक्त लागतें;

ग) अनुरोधकर्त्ता पक्ष को दस्तावेज़ देने के लिए उपयुक्त लागतें

घ) सूचना हेतु एक विशिष्ट अनुरोध के संबंध में अनुरोधित पक्ष की मुकदमेबाजी संबंधी उपयुक्त लागतें; और

ड.) बयान अथवा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लागतें।

अनुच्छेद 10

विधान का कार्यान्वयन

संविदाकारी पक्ष करार की शर्तों का अनुपालन करने और उसे प्रवर्तित करने के लिए किसी आवश्यक विधान को अधिनियमित करेंगे। ऐसे विधान को इस करार को प्रवृत्त करने के छह माह के भीतर कानून बनाया जाएगा।

अनुच्छेद 11

पारस्परिक करार विधि

1. जहां करार को कार्यान्वित करने अथवा उसकी व्यावया करने के संबंध में संविदाकारी पक्षों के बीच कठिनाइयां अथवा संदेह उत्पन्न होते हैं वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त, संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेदों 5, 6 और 19 के तहत प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं पर पारस्परिक रूप से सहमत होंगे।

2. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अंतर्गत करार करने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे ही बातचीत करेंगे।

अनुच्छेद 12

अन्य अंतरराष्ट्रीय करार अथवा प्रबंध

इस करार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की संभावनाएं जो दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच विद्यमान अंतरराष्ट्रीय करारों अथवा अन्य प्रबंधों में अंतर्निहित संभावनाओं को न तो सीमित करती है न ही उनके द्वारा सीमित होती हैं जो कर मामलों में सहयोग से संबंधित हैं।

अनुच्छेद 13

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी पक्ष इस करार को प्रवृत्त करने के लिए राजनयिक माध्यमों के जरिए अपने-अपने कानूनों के तहत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए लिखित में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ **1** में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और तत्काल प्रभावकारी होगा।

अनुच्छेद 14

समापन

1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इसे समाप्त नहीं कर देता है।

2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष इसके लागू होने की तारीख से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद राजनयिक माध्यमों के जरिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को समापन की एक लिखित सूचना भेज कर करार को समाप्त कर सकता है।

3. इस तरह का समापन, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समापन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा। समापन की प्रभावी तारीख तक प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों को करार के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा।

4. करार समाप्त होने पर, संविदाकारी पक्ष इस करार के अंतर्गत प्राप्त किस सूचना के संबंध में अनुच्छेद 8 के उपबंधों द्वारा बाधित रहेंगे।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

में वर्ष दो हजार चौदह के नवंबर माह के ११ दिन प्रत्येक को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया है, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से	सेंट किट्स और नेविस की सरकार की ओर से

(असोक कुमार मुखर्जी)
असाधारण राजदूत और
पूर्णाधिकारी और संयुक्त राष्ट के
लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि

(डीलानो फ्रैनक बार्ट) क्यू सी
असाधारण राजदूत और
पूर्णाधिकारी और संयुक्त राष्ट के लिए सेंट किट्स
तथा नेविस के स्थायी प्रतिनिधि